न्यायालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी

राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 मुकाम भिनाय

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./05/2023

1. श्रीमति नन्दू पत्नि प्रताप **मृतक जरिये वारिसान**
   1/1 मोहन पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी रेण का झौंपडा तहसील भिनाय
   1/2 रामनाथ पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी रेण का झौपडा तहसील भिनाय
   1/3 उगमी पुत्री प्रताप पत्नि जीवराज जाति जाट निवासी पीलोदा तहसील भिनाय
   1/4 रामदेव पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी रेण का झौपडा तहसील भिनाय
   1/5 प्रेम देवी पुत्री प्रताप पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी दौलतपुरा द्वितीय सथाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर
2. नौसर पत्नि सावंरा जाति जाट निवासी रेण का झौंपडा तहसील भिनाय

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र पोलू जाति जाट निवासी रेण का झौंपडा तहसील भिनाय
2. भंवरलाल पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी रेण तहसील भिनाय
3. रामदेव पुत्र पोलू जाति जाट निवासी रेण तहसील भिनाय
4. जगदीश पुत्र पोलू जाति जाट निवासी रेण तहसील भिनाय
5. सांवरा पुत्र हीरा जाति जाट निवासी रेण का झौंपडा
6. गणेश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी रेण
7. छगनलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी रेण
8. सांवरा पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी रेण का झौंपडा
9. छोटू पुत्र अमरा जाति जाट निवासी रेण का झौंपडा तहसील भिनाय
10. माया पत्नि सांवरा जाति जाट निवासी रेण तहसील भिनाय
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थीगण– मोहम्मद युसुफ
2. वकील अप्रार्थी सं. 9,10–श्री त्रिलोक जांगिड
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 11.02.2023

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा रेण पटवार क्षेत्र बूबकिया भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 54 में दर्ज ख0न. 864 रकबा 0.63 हैं0, 864/1161 रकबा 0.15 है0, 865 रकबा 0.34 हैं0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.12 हैं0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 10 प्रार्थीगण की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीयागण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 को नियमानुसार नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं देने पर उनके के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

अध्यक्ष 11/2/23
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner

सं. 9 व 10 ने जरिये अधिवक्ता जवाब पत्र प्रस्तुत किया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत कर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थीयागण की खातेदारी आराजी होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 9 व 10 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2023 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थीगण और पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि होना स्वीकार किया है। उपस्थित बैंच द्वारा पत्रावली एवं राजस्व जमाबन्दी ग्राम रेण का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। ऐसी स्थिति में बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा रेण पटवार क्षेत्र बूबकिया भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 54 में दर्ज ख0न. 864 रकबा 0.63 हैं0, 864/1161 रकबा 0.15 है0, 865 रकबा 0.34 हैं0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.12 हैं0** प्रार्थीया की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक भिनाय को राष्ट्रीय लोक अदालत की मंशानुरूप निःशुल्क मौका कमीशनर नियुक्त किया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त पड़ौसी खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सुचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2023 **को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।**

(युवराज सिंह)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला–अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned with CamScanner